

2024-10-10-2024

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

सा नं० 183 / 2024

तारीख रजू :- 3-3-2024

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

आई0डी0 नम्बर 2024/396

उनवान

द पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

सिंह पुत्र नहने जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण—13

दिनांक	फर्द अहकाम
9/2024	<p>यह दावा वादीगण की ओर से श्री शाहिद अली एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.10.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p>1/10 वकिलाय उपरिधत/पीठासीन अधिकारी को पेश है। गतानुसार दिनांक.....को पेश हो। 22-11-24</p>
4/10/24	<p>पत्रावली आद सिद्ध लक्ष्मी के आ. पत्र पर पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण की तलव उपा. वाकी व वाकीगण की तलव उपा. वाकी गयी बलाना घाट है। वाकीगण व प्रतिवादीगण की तलव उपा. वाकीगण के अतिरिक्त करना जाय है। अतः गु. नं० 183/24 दावा रज. उपा. वकिलाय उपरिधत को पेश है स्थायी किया पाटा है। पत्रावली के अतिरिक्त गु. नं० 2024/396 नं० 2 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मिटी ( करौली )</p>

